	को पेश हो। [illegible] सिर्फ श.का. किया गया। वास्ते बहस पत्रावली 24-3-22 को पेश हो।
24-3-22	पत्रावली पेश हुई वकील अपीलान्ट उपस्थित करते बहस समय चाहते हैं वास्ते बहस अंतिम पत्रावली 4-5-22 को पेश हो।
4-5-22	पत्रावली पेश हुई वकील अपीलान्ट उपस्थित वास्ते बहस समय चाहते हैं वास्ते बहस 11-5-22 को पेश हो।
11-5-22	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साविक कार्यवाही हेतु दिनांक 31-5-22 को पेश हों।
31-5-22	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली निर्णित की गई विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी,जिला बून्दी राज0

5/अपील/2018
दायरा दिनांक 03.05.2016

पीठासीन अधिकारी
श्री युगांतर शर्मा(RAS)

बउनवान

1. रामचरण आत्मज मांग्या उर्फ मांगीलाल जाति मीना निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
2. सीताबाई पत्नि बिरधीलाल पुत्री मांग्या उर्फ मांगीलाल जाति मीना निवासी गुहाटा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
3. शांतिबाई पत्नि बनवारीलाल पुत्री मांग्या उर्फ मांगीलाल जाति मीना निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

—अपीलार्थीगण

बनाम

1 श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0
2 नायब तहसीलदार उपतहसील लाखेरी जिला बून्दी राज0।
3 सरपंच ग्राम पंचायत गुहाटा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
4 श्री मोहनलाल वैष्णव हल्का पटवारी गुहाटा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

—रेस्पोडेन्ट्स

अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट।
उपस्थित :— 1.श्री सुरेश वर्मा एडवोकेट(अपीलान्ट)।
2.श्री प्रेमशंकर गुर्जर (रेस्पोडेन्ट)

—: निर्णय :— **दिनांकः — 31.05.2022**

अपीलार्थी ने यह अपील ग्राम कोटाखुर्द के नामान्तकरण संख्या 549 दिनांक 07.01.2016 के विरूद्व पेश की।अपीलार्थीगण अनुसार ग्राम कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ स्थित खसरा संख्या 75, 76, 77, 77/1356, 78,79, 81, 82,83, 85, 88, 94, 95, 98 258, 596, 597 कुल किता 18 कुल रकबा 11.21 हैक्ट0 में

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

हिस्सा 1/2 की खातेदारी प्रार्थी /अपीलार्थीगण के स्वर्गीय पिता मांग्या उर्फ मांगीलाल पुत्र जगन्नाथ जाति मीना की थी।श्री मांग्या उर्फ मांगीलालजी का निधन 05.10.1985 को हो गया और ग्राम पंचायत ने 15.09.2015 को उनका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया।श्री मांग्या उर्फ मांगीलाल की पत्नी एवं अपीलार्थीगण की माता रामकंवरी बाई का भी निधन हो चुका है। माता–पिता के निधन के उपरांत अपीलार्थीगण ही एक मात्र जीवित उत्तराधिकारी है इस आधार पर उन्होने विरासत का नामान्तकरण उनके नाम खोलने का निवेदन किया जिस पर पटवारी हल्का ने उनके नाम विरासत का नामान्तकरण दर्ज कर दिया परन्तु सरपंच गुहाटा ने संदर्भित भूमि के सबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी में वाद विचाराधीन बताते हुए नामान्तकरण संख्या 549 दिनांक 07.01.2016 अस्वीकृत कर दिया। जो कि नियम व विधी विरूद्व खारिज किया गया। विरासत का नामान्तकरण विधिक वारिसान के पक्ष में निर्णित किये जाने के सबंध में किसी भी न्यायालय का स्थगन नही था फिर भी नामान्तकरण खारिज कर दिया गया इसलिए सरपंच ने नामान्तकरण संख्या 549 पर दिये गये निर्णय दिनांक 07.10.2016 को निरस्त कर नामान्तकरण अपीलार्थीगण के पक्ष में निर्णित करने का निवेदन किया।

अपील दर्ज कर प्रत्यर्क्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया परन्तु बार–बार अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नही करने पर जवाब बंद किया गया। अधिवक्ता अपीलार्थीगण की बहस एक तरफा सुनी गयी उनके द्वारा अपील में अकिंत तथ्यों का दुहराव करते हुए पूर्व न्यायिक दृष्टांत RJW 2008(2) RJ पृष्ठ सं0 825 कैलाशचन्द्र बनाम छोटी देवी वगेरह प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि नामान्तकरण प्रक्रियां है जो यह निर्धारित करती है कि लगान जमा कराने के लिए कौन उत्तरदायी है सिर्फ जीवित व्यक्ति ही लगान दे सकता है इसलिए विरासत के नामान्तकरण को इस आधार पर स्थगित/लम्बित नही रखा जा सकता है वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन है या इस आधार पर अपास्त नही किया जा सकता कि पक्षकारों के बीच न्यायिक वाद लम्बित है इसलिए सरपंच गुहाटा का निर्णय खारिज कर नामान्तकरण स्वीकृत करने का अनुतोष चाहा।

पत्रावली का एवं पूर्व न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन कर मनन करने पर पाया कि ग्राम कोटाखुर्द के नामान्तकरण संख्या 549 जो कि मांग्या उर्फ मागींलाल पुत्र जगन्नाथ की मृत्यु उपरांत उसके वैधानिक वारिसान के पक्ष में दर्ज किया गया था पर सरपंच ग्राम पंचायत गोहाटा द्वारा किया गया निर्णय दिनांक 07.01.2016 को नामान्तकरण पेश हुआ सरपंच ग्राम पचायत गोहाटा द्वारा नामान्तकरण संख्या 549 को यह टिप्पणी करते हुये कि वर्णित आराजी बाबत् एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी में जैरकार होने से निरस्त किया

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

जाता है। जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है प्रकरण में न्यायिक दृष्टांत भी पूरी तरह से अपील पर चस्पा होता है। विधि में भी यह प्रावधान है कि यदि न्यायालय में वाद विचाराधीन रहते हुए किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो उसके विधिक वारिसान को कायम मुकाम प्रार्थना–पत्र 0-22 R-3 0-22 R-4 के माध्यम से रिकार्ड पर लिया जाकर अपने पक्ष का समुचित सरंक्षण करने का अवसर दिया जाता है।

अतः नामान्तकरण संख्या 549 ग्राम कोटाखुर्द निर्णय दिनांक 07.01.2016 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार इन्द्रगढ को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वो मृतक मांग्या उर्फ मांगीलाल के विधिक वारिसान की जांच कर अधिकतम तीस दिवस में नामान्तकरण संख्या 549 को पुनः निर्णित कर अनुपालना प्रस्तुत करे। मूल रिकार्ड तहसीलदार को लौटाया जावे तहसीलदार को इस प्रकार की तहरीर जारी हो।पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो

निर्णय आज दिनांक 31.05.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

मांग्या उर्फ मांगीलाल